

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ 03-41/2017/26-2
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23/12/2017

1. समस्त कलेक्टर म.प्र
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत म.प्र
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत म.प्र

विषय— "समाधान एक दिन—तत्काल सेवा" व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पंजीयन एवं नवीनीकरण करने विषयक।

1. सेवा का उद्देश्य— तत्काल सेवा प्रदाय करने के उद्देश्य से एक दिवस में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पंजीयन एवं नवीनीकरण करने विभाग द्वारा प्रदाय किया जा रहा है।

2. पदाभिहित अधिकारी का पद नाम एवं समय सीमा —

जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, समय सीमा 1 दिवस

3. पात्रता के मापदंड —

- आवेदक/आवेदिका ग्राम पंचायत में 5 वर्ष से नियमित निवास कर रहा हो।
- आवेदक/आवेदिका की आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम हो।
- मजदूरी करने में सक्षम हो।
- कृषि/उद्यानिकी/वनरोपण/वनोत्पन्न संग्रह/मत्स्याखेट आदि मजदूरी कर जीविकोपार्जन करता हो।
- आवेदक/उसके परिवार के सदस्य के पास किसी भी तरह की कृषि भूमि न हो।
- आवेदक अन्य किसी अर्थात् म.प्र. भवन संनिर्माण कर्मकार मण्डल हम्माल एवं तुलावटी तथा इस प्रकार की अन्य श्रमिक संवर्ग की राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत पंजीकृत न हो।

4. आवश्यक दस्तावेज एवं परीक्षण की प्रक्रिया—

क्र.	आवश्यक दस्तावेज	परीक्षण की प्रक्रिया
1	आयु प्रमाण पत्र (निम्न में से कोई एक) <ul style="list-style-type: none">• स्कूल का प्रमाणपत्र/अंकसूची• जन्म प्रमाणपत्र• मतदाता सूची• स्वयं का मतदाता परिचय पत्र• मनरेगा जॉब कार्ड	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर

रि